शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार
मध्यप्रदेश

300 करोड़ रुपए बचाने सरकार अब नहीं देगी छात्राओं को साइकिल

उमा प्रजापति ।। भोपाल

आर्थिक संकट से जूझ रही मध्यप्रदेश सरकार अपने सभी विभागों में कटौती कर रही है। शिक्षा विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अब बंद होने जा रही है। प्रदेश सरकार इस योजना पर हर वर्ष 300 करोड़ रुपए खर्च करती थी। इस योजना के बंद होने से सरकार के 300 करोड़ रुपए बचेंगे। वर्तमान वर्ष में भी छात्र-छात्राओं को साइकिल नहीं दी गई और कारण कोरोना वायरस को बताया गया है। 15 से 20 किलोमीटर की परिधी में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराई जाएगी, उन्हें स्कूल जाने व घर छोड़ने के लिए बस-ट्रेन की सुविधा उपलबध कराई जा सकती है। इस पर कार्य शुरू हो गया है।

हर साल साढ़े तीन लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिलता है लाभ

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को स्कूल तक आने के लिए दी जाने वाली साइकिल योजना को सरकार बंद करने पर विचार कर रही है। इसकी जगह ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। सरकार हर साल इस योजना पर करीब तीन सौ करोड़ रुपए खर्च करती है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो 2023 तक सभी विद्यार्थियों को यह लाभ मिल सकता है। इस योजना के तहत कक्षा छठवीं और नौवीं में पढ़ने वाले करीब साढ़े की लाख विद्यार्थियों को सरकार की ओर से निःशुल्क साइकिल दी जाती है। हालांकि इस साल प्रदेश में फैले कोरोना वायरस के कारण छात्र-छात्राओं को साइकिल नहीं दी गई है। पहले चरण में ट्रांसपोर्ट की सुविधा केवल सीएम राइज स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को दी जाएगी। शेष स्कूल के बच्चों को फिलहाल साइकिल ही मिलेगी। यदि प्रयोग सफल हुआ तो अन्य स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। दरअसल राज्य सरकार प्रदेश के एक लाख दो हजार सरकारी स्कूलों को मर्ज कर केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर 9200 'सीएम राइज' स्कूल खोलने जा रही है। हिंदी-अंग्रेजी दोनों माध्यम में संचालित होने वाले इन स्कूलों के विद्यार्थियों को सीबीएसई स्कूल की तरह स्वीमिंग पूल, बैंकिंग काउंटर, डिजिटल स्टूडियो, कैफेटेरिया, जिम, पिकिंग एरिया की सुविधाएं मिलेंगी।

सन् 2004 में शुरू हुई थी योजना

गांव में स्कूल न होने की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई न रुके इसके लिए प्रदेश सरकार कक्षा छठवीं और नौवीं में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें प्रदान करती है। यह योजना 2004 में शुरू की गई थी। सन् 2017 से दो किलोमीटर क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इससे पहले एक गांव से दूसरे गांव या शहर जाने वाले विद्यार्थियों को साइकिलों का वितरण किया जाता था। सन् 2014 में भी दो किलो से अधिक दूरी से आने वाली छात्र-छात्राओं को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने का प्रस्ताव डीपीआई ने तैयार किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका था।

महाविद्यालयों में एडमीशन के लिए छात्रों को एक और मौका

31 दिसम्बर को एक दिन के लिए ओपन हो सकती है लिंक

भास्कर न्यूज | सतना

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग एक और मौका छात्रों को देने जा रहा है। महाविद्यालयों से जुड़े जानकारों की मानें तो 31 दिसम्बर को एक दिन के लिए विभाग लिंक ओपन कर सकता है। अगर एडमीशन से कोई छात्र वंचित हुए हैं तो वह इस मौके का लाभ ले सकते हैं। यह कॉलेजों में एडमिशन लेने का आखिरी मौका होगा, इसके बाद लिंक दोबारा ओपन नहीं होगा।

प्रायोगिक कक्षा लगाने की तैयारी

बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालयों की शुरूआत प्रायोगिक कक्षाओं के साथ किए जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट आदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन वरिष्ठ कार्यालय से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रहीं हैं कि बीएससी एवं एमएससी के प्रैक्टिकल महाविद्यालयों में शुरू कराए जाएंगे। अभी तक इन कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन व्यवस्था के तहत सैद्धांतिक पढ़ाई तो कराई गई है, मगर उसके प्रैक्टिकल नहीं हो सके हैं। जबकि बीएससी और एमएससी में प्रैक्टिकल का होना अत्यंत आवश्यक है।

सरकार की प्रत्येक कार्य प्रक्रिया में आला अधिकारी अड़चन बन कर आ रहे सामने

पदोन्नति पदनाम के मामले में शिक्षकों ने कहा अधिकारियों के कारण नहीं मिला लाभ

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रदेश के लोक सेवकों को पदनाम दिए जाने संबंधी आदेश के बाद शिक्षकों ने अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि अधिकारी सरकार की प्रत्येक कार्य प्रक्रिया में अड़चन बन कर सामने आ रहे हैं। सरकार द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पदनाम के लिए गठित समिति से नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया है कि सरकार कमेटी बनाकर शिक्षकों से छलावा कर रही है।

समग्र शिक्षक संघ ने स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को पूर्व से प्रचलित कार्यवाही के अनुसार पदनाम पर निर्णय करने की मांग उठाई है। समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेशचंद दुबे कहना है कि अन्य विभागों के कर्मचारियों की तुलना में प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत पुराने शिक्षक उच्च योग्यता और अनुभव के बावजूद पिछले 25 से 40 से पदोन्नति से वंचित हैं। समग्र शिक्षक संघ मध्यप्रदेश के प्रदेश मंत्री संजय तिवारी का कहना है कि देश में मध्य प्रदेश एकमात्र इकलौता राज्य है, जहां योग्यता और अनुभव की घोर उपेक्षा करते हुए सीनियर के ऊपर जूनियरों को पदोन्नति दे दी गई, अन्य राज्यों की तुलना में वेतनमान और अन्य प्रोत्साहन के अवसरों में भी राज्य के शिक्षक सबसे पीछे हैं, प्रदेश में वेतन विसंगति जूझ रहे हैं।

समयमान योजना अर्जित अवकाश जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। इस कारण शासन पूर्व से प्रचलित कार्यवाही पर निर्णय करें। संघ ने तर्क दिया है कि जब विधि और सामान्य प्रशासन विभाग शिक्षकों के पदनाम के पक्ष में अपना अभिमत दे चुका है। पदनाम परिवर्तन से सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं है तो सरकार को शिक्षकों के मुद्दे पर निर्णय लेने में क्या परेशानी है। इस विषय को लेकर शिक्षकों ने पूर्व से प्रचलित कार्यवाही के अनुक्रम में मुख्यमंत्री की घोषणा को पूर्ण करने की मांग उठाई है।

सीएम ने तीन वर्ष पूर्व की थी घोषणा

शिक्षकों का कहना है कि वर्ष दिसंबर 2017 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समग्र शिक्षक संघ के नसरुल्लागंज सम्मेलन में शिक्षकों को योग्यता और वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति का पदनाम देने की घोषणा की थी, घोषणा पर कार्यवाही भी हुई और मामला कैबिनेट तक भी पहुंचा, लेकिन उच्च अधिकारियों के बार बार आपत्ति लगाने के चलते मामले पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका था। शिक्षकों ने इसको लेकर नसरुल्लागंज, बुधनी और भोपाल आंदोलन भी किए।

जनवरी में निर्णय नहीं तो निर्णायक आंदोलन तय

समग्र शिक्षक संघ का कहना है कि वेतन विसंगति से पूर्व से जूझ रहे शिक्षक वेतन वृद्धि रोक दिए जाने तथा पदनाम के नाम पर गठित कमेटी से सभी नाखुश हैं। जनवरी में निर्णय न होने की स्थिति में निर्णायक आंदोलन कर सकते हैं। समग्र शिक्षक संघ के अनुसार संगठन आगामी रणनीति पर विचार-विमर्श के लिए प्रांत व्यापी बैठक का आयोजन करेगा।

डीएलएड द्वितीय अवसर पूरक परीक्षा के लिए 28 दिसंबर से भरे जाएंगे ऑनलाईन आवेदन पत्र

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा संचालित डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन प्रथम, द्वितीय वर्ष (द्वितीय अवसर) पूरक परीक्षा के परीक्षार्थियों द्वारा केवल ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र पूर्व के अनुक्रमांक के आधार पर प्रथम, द्वितीय वर्ष परीक्षा के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी पात्रता अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक भरे जाएंगे। वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षा में प्रथम, द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्रथमबार परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों को द्वितीय अवसर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित किसी भी भाग में रहे छात्र, केवल सत्र 2019-20 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र जिन्होंने प्रथम अवसर (मुख्य परीक्षा) में परीक्षा आवेदन नहीं भरा है वो द्वितीय अवसर परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। द्वितीय वर्ष (द्वितीय अवसर) सत्र 2018.19 में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किन्तु द्वितीय वर्ष मुख्य परीक्षा वर्ष 2020 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है वो सम्मिलित होने की पात्रता होगी। छात्र एमपी ऑनलाइन के कियोस्क से आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क निर्धारित दिनांक में जमा कर सकेंगे। डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (द्वितीय अवसर) के लिए विस्तृत निर्देश मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2 सरकारी स्कूलों को प्रिज्म ने दी 8 स्मार्ट क्लास की सौगात

सतना। जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सज्जनपुर और बम्हौरी स्कूल को प्रिज्म जानसन ने अपने सीएआर फंड से 8 स्मार्ट क्लास की सौगात दी है। इन दोनों स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से अध्ययन एवं अध्यापन का लाभ मिलेगा। सीनियर मैनेजर देवेन्द्र मिश्रा ने बताया कि इसके लिए अनुबंधित कंपनी फिलहाल 3 साल तक अपनी तकनीकी सेवा देगी। प्रिज्म जानसन के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट एमपी त्रिपाठी ने भी उम्मीद जताई कि इस सुविधा से ब्लाक स्तर पर ग्रामीण बच्चे लाभान्वित होंगे और उनके परीक्षा परिणामों में अप्रत्याशित रुप से सुधार आएगा।

जारी रहेगा अभियान - उल्लेखनीय है जिले के सरकारी स्कूलों में अभी सिर्फ एक्सीलेंस स्कूलों में ही स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध है। श्री त्रिपाठी के मुताबिक सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कंपनी अभी अन्य शासकीय स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्च नई तकनीक से शिक्षा प्राप्त करके ही समय के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

प्राचार्यों ने जताई खुशी - 2 स्कूलों में 8 स्मार्ट क्लास की सौगात मिलने पर सज्जनपुर के सरपंच अनिल तिवारी, प्राचार्य आरएल अग्निहोत्री और बम्हौरी के प्राचार्य रामदास प्रजापति के अलावा शिक्षक आरके श्रीवास्तव, राकेश मिश्रा, शिक्षिका कल्पना, व्याख्याता दीपक शर्मा, शिक्षक कृष्ण मणि पांडेय और शीलध्वज सिंह ने खुशी व्यक्त की है।

दक्षता परीक्षा के विरोध में सौंपा ज्ञापन

सिलवानी। हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों एवं केचमेंट एरिया में आने वाले माध्यमिक शिक्षकों की पिछले वर्ष के बोर्ड परीक्षा परिणाम 40 प्रतिशत से कम रहने के आधार पर अध्यापन करा रहे शिक्षकों की दक्षता परीक्षा लेने का विरोध प्रांतीय शिक्षक संघ ने करते हुये रायसेन जिले में विकास खण्ड स्तर सिलवानी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम संघमित्रा बौद्ध को सौंपा। शिक्षकों की मांग है कि शिक्षकों की दक्षता परीक्षा निरस्त की जाए इस अवसर परअजीत कुमार श्रीवास्तव प्रदेश उपाध्यक्ष प्रांतीय शिक्षक संघ, प्रदीप कुमार अहिरवार, तहसील अध्यक्ष भारत सिंह कुर्मी, राजेन्द्र शाह, चन्द्रभान सिंह जगेत, राकेश कुर्मी, सुनीता मेहरा, रामलाल मांझी, लाकेश? धुरवे, रमेश पटेल, संदीप धाकड़, खुमान सिंह, देवेन्द्र सिंह, चंद्रेश पदराम आदि मौजूद रहे।

समूह-5 भर्ती परीक्षा 28 को, परीक्षार्थियों को करना होगा 300 किलोमीटर का सफर

सच रिपोर्टर, भोपाल।

पीईबी ने भोपाल के आवेदकों को दिया जबलपुर सेंटर, 98 हजार परीक्षार्थी होंगे शामिल

प्रदेश में फैले कोरोना वायरस के कहर के बीच स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के वर्ग-5 की परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों को 250 से 300 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ेगा। यह परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 28 दिसंबर से शुरू की जा रही है, जो 13 जनवरी तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर से 98 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

दरअसल पीईबी ने भोपाल के कई आवेदकों को जबलपुर और जबलपुर, ग्वालियर के अभ्यर्थियों को भोपाल परीक्षा केंद्र दिया है।

जबकि इस परीक्षा में ऐसी महिलाएं भी शामिल होंगी, जिनके बच्चे छोटे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पीईबी द्वारा परीक्षार्थियों का केंद्र बदलना एक पडयंत्र का हिस्सा है। दूसरे शहर में परीक्षा केंद्र बनाने से ज्यादा आवेदन परीक्षा नहीं दे सकेंगे और चाहेतों को नौकरी मिल सकेगी।

प्रदेश के फार्मासिस्ट पहले से ही परेशान और निराश हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से खाली पड़े 500 से ज्यादा फार्मासिस्ट के पद निकलने की संभावना पर विभाग के अड़ियल अधिकारियों के रवैए से ये पद इस परीक्षा में शामिल नहीं किए गए। जो फार्मासिस्ट वर्षों से तैयारी में लगे थे, वो नाउम्मीद हुए और कही तो ओवरएज भी हो गए।

कुछ फर्मासिस्ट अब परीक्षा देना चाहते हैं तो इस कोरोना के समय में पडयंत्र पूर्वक भोपाल से जबलपुर भेजकर उनको भी कॉम्पीटिशन से बाहर किए जाने का प्लान हैं, पीईबी द्वारा यह परीक्षा दो शिफ्ट तो कुछ पेपर तीन शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे। परीक्षार्थियों का कहना है कि यदि पीईबी उनका परीक्षा केंद्र नहीं बदलता है तो हम आंदोलन करेंगे।

परीक्षा में करीब 25 विषय के परीक्षार्थी शामिल होंगे। कुछ परीक्षार्थियों ने 5 से 10 विषय तक के लिए आवेदन किया है। जिन परीक्षार्थियों को दो से अधिक विषय की परीक्षा देना है, उनको उसी शहर में सेंटर दिया गया, ताकि आने-जाने में परेशानी न हो। एक या दो पेपर देने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र बदले गए हैं।

एकेएस भदौरिया, परीक्षा नियंत्रक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

बची हुई राशि न लौटाने पर 34 डीपीसी को थमाया नोटिस

भोपाल। स्कूलों को विभिन्न मदों के लिए दी जाने वाले बची हुई राशि न लौटाने पर राज्य शिक्षा केंद्र ने 34 जिला परियोजना समन्वयकों (डीपीसी) को नोटिस जारी किया है। आएसके के अपर मिशन संचालक लोकेश कुमार जांगिड ने डीपीसी से राशि न लौटने को लेकर जबाव मांगा है। संतोषजन जबाव न मिलने पर इनकी वेतनवृद्धि रोकी जा सकती है।

राज्य शिक्षा केंद्र राशि जमा करने के लिए कई बार डीपीसी को पत्र लिख चुका है, लेकिन अब तक 34 जिलों से बची हुई राशि आएसके को नहीं मिली है। मालूम हो कि राज्य शिक्षा केंद्र साइकिल, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति सहित अन्य खर्चों के लिए जिला परियोजना अधिकारियों को राशि देता है। यह राशि पिछले वर्ष की छात्र संख्या के आधार पर जारी की जाती है। ऐसे में कई बार राशि बच जाती है, यह राशि डीपीसी को राज्य शिक्षा केंद्र को लौटाना होती है। यह राशि करोंड़ों पर है।

भोज विवि: नियम विरुद्ध 72 नियुक्तियों के मामले में ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

भोज विश्वविद्यालय में हुई 72 नियम विरुद्ध नियुक्तियों को लेकर ईओडब्ल्यू ने शिकायत दर्ज की है। आरोप है कि वर्ष 2003, 2013 और 2014 में तत्कालीन विवि प्रशासन द्वारा बिना रोस्टर के और बिना विज्ञापन व साक्षात्कार के मनमर्जी से नियुक्ति की गई।

बताया जाता है कि शिकायत मिलने पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने अतिरिक्त संचालक के माध्यम से जांच बिठाई है। दरअसल, विवि में नियम विरुद्ध रखे गए कर्मचारी सातवें वेतनमान को लेकर आंदोलनरत हैं। इनमें वह कर्मचारी भी हैं, जिन्हें चतुर्थ श्रेणी को तृतीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी को द्वितीय श्रेणी कर्मी बनाया गया है। इन कर्मचारियों को ऑडिट विभाग से नियम विरुद्ध वेतन भुगतान की तैयारियां चल रही हैं। ईओडब्ल्यू को की गई शिकायत में कहा गया है कि एक अर्द्ध कुशल कर्मचारी को द्वितीय श्रेणी लाइब्रेरियन बनाया गया है। वहीं एक फोटोग्राफर को बोर्ड ने कम स्केल पास किया है और आर्डर अधिक वेतनमान का जारी किया गया है। इसी तरह एक महिला कर्मचारी का पद 2013 में बनाया गया और उसका नियमितीकरण भी कर दिया गया। इस सबको लेकर ऑडिट ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं। बताया जाता है कि इस अवैध भुगतान को जब लेखा शाखा ने रोकने का प्रयास किया, तो कर्मचारी शिकायतें करने लगे। इस पूरे फर्जीवाड़े की ईओडब्ल्यू से शिकायत की गई है।

मेरे कार्यकाल के पहले की नियुक्तियों का है मामला

जिन नियुक्तियों को लेकर शिकायत दर्ज हुई है, वह मेरे कार्यकाल के पूर्व की हैं। कहा जाता है कि उन नियुक्तियों में रोस्टर का पालन नहीं हुआ। अभी मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है। यदि कोई नोटिस आता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जयंत सोनवलकर, कुलपति, भोज विश्वविद्यालय

स्कूल जा रही छात्रा से अधेड़ ने की छेड़छाड़

सच प्रतिनिधि || भोपाल

गुनगा थानाक्षेत्र के एक गांव में छात्रा के साथ मोहल्ले में ही रहने वाले अधेड़ ने छेड़खानी कर दी। पुलिस ने छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

गुनगा पुलिस ने बताया कि 14 वर्षीय किशोरी नौवीं कक्षा की छात्रा है। उसके गांव में सरकारी स्कूल नहीं है] इसलिए वह दूसरे गांव में पढ़ने जाती है। दो दिन पहले सुबह करीब दस बजे वह घर से स्कूल के लिए निकली थी, इसी दौरान मोहल्ले में ही रहने वाले लक्ष्मण अहिरवार ने उसे रास्ते में रोक लिया। चूंकि छात्रा उसे जानती थी, इसलिए व लक्ष्मण के कहने पर रुक गई। इसके बाद अधेड़ ने बुरी नीयत से उसे छूने की कोशिश की। छात्रा ने विरोध किया तो उसने छेड़खानी शुरू कर दी। छात्रा ने खुद को बचाने के लिए आवाज लगाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर गांव के कुछ लोग वहां पर आ गए।

उनके आने पर लक्ष्मण मौके से भाग निकला। छात्रा ने कल यह बात अपने परिजनों को बताई तथा थाने में जाकर शिकायत कर दी। पुलिस ने छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज कर लक्ष्मण को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

शिक्षा ऐसी हो, जो सामान्य व्यक्ति के काम आए: डॉ. शर्मा

हिंदी विवि के स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम

भोपाल। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें पढ़ाई समाज से जुड़कर करनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो, जो रोजगारोन्मुखी होने के साथ सामान्य व्यक्ति के काम आए। यह बात शुक्रवार को हिंदी विवि के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता पद्मश्री डॉ. महेश शर्मा ने कही। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विवि में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद प्रभात झा, विशिष्ट वक्ता पद्मश्री डॉ. महेश शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉ. अमोघ गुप्ता, कुलाधिपति, वास्तुकला विवि, नई दिल्ली एवं सृजन संस्था के अध्यक्ष प्रसन्न शर्मा मौजूद थे। प्रो. रामदेव भारद्वाज ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी निर्गुण, अजातशत्रु और कठोर निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे।

रीवा के शिक्षकों की याचिका

शिक्षकों की दक्षता परीक्षा को चुनौती, कोर्ट ने दिया नोटिस

पीपुल्स संवाददाता • जबलपुर

editor@peoplessamachar.co.in

दसवीं व बारहवीं के छात्रों के परीक्षा परिणाम 40 फीसदी से कम आने पर शिक्षकों की दक्षता परीक्षा किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ताजा मामले में आवेदक शिक्षकों का कहना है कि बिना जांच परख और निर्धारण के उक्त परीक्षा आयोजित की जा रही है, क्योंकि अधिकांश शिक्षक ऐसे है, जो कि दूसरे कार्य में लगे हुए थे, न तो उन्हें क्लास आवंटित की गई थी और न ही उन्होंने पढ़ाया, फिर उनकी दक्षता परीक्षा क्यों।

जस्टिस राजीव कुमार दुबे व जस्टिस विशाल धगट की वैकेशन बेंच ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामला रीवा शासकीय स्कूल के माध्यमिक व उच्च शिक्षक दिनेश कुमार मिश्रा, सुधाकर तिवारी, कैलाश चंद्र अवधिया सहित 10 शिक्षकों की ओर से दायर किया गया है।

मामले में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त लोक संचालनालय, ज्वाइंट डायरेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी रीवा सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है।

राज्य उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

कोचिंग संस्थान को फीस के ₹ 24 हजार फीस छात्र को लौटाना होंगे

भोपाल(नवदुनिया प्रतिनिधि)। एक छात्र ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग में एडमिशन लिया। इसके लिए उसके पिता ने 83 हजार रुपये जमा किए। दस माह बाद छात्र गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया और कोचिंग जाना बंद कर दिया।

छात्र के पिता ने जब फीस की आधी राशि की मांग की तो कोचिंग संस्थान ने देने से इंकार कर दिया। मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने छात्र के पक्ष में फैसला सुनाया। दरअसल, इंदौर का एक उपभोक्ता सुनील कुमार जैन ने स्टार्ट फोर्ड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील लगाई थी। उपभोक्ता ने अपने बेटे का आईआईटी कोचिंग के लिए सत्र 2011-13 के लिए एकेडमी में 5 जून को प्रवेश लिया। दो साल के कोर्स के लिए जून में 83 हजार रुपये जमा किए। अप्रैल 2012 में छात्र को स्लीप डिस्क की बीमारी हो गई, जिससे वह बैठने में असमर्थ हो गया।

छात्र के पिता ने बताया कि उनका बेटा अचानक बीमार होने से कोचिंग जाने में असमर्थ था। उन्होंने एकेडमी से आधी फीस 48,460 रुपये की मांग की, लेकिन एकेडमी ने देने से इंकार कर दिया। आयोग ने छात्र के पक्ष में फैसला सुनाया। कोचिंग संस्थान को आधी फीस यानि 24,230 रुपये लौटाने का आदेश दिया।

कोचिंग संस्थान के तर्क को खारिज किया

आयोग के समक्ष कोचिंग संस्थान ने तर्क रखा कि वे सीमित संख्या में छात्रों को प्रवेश देते हैं। कोर्स बीच में छात्र ने छोड़ा है तो उससे एक सीट खाली रह जाएगी। बीच सत्र में छात्र के छोड़ने से उसे नुकसान हुआ है। वह फीस नहीं लौटा सकता है। उन्होंने छात्र को कोर्स से वंचित नहीं किया है, बल्कि वह अपनी मर्जी से कोर्स छोड़ा है, इसलिए उसे फीस वापसी की पात्रता नहीं होगी। इस तर्क को आयोग ने खारिज कर दिया और कहा कि कोचिंग संस्थान बड़े स्तर पर कई बैच में कोचिंग चलाते हैं। अचानक बीमार होने से छात्र कोचिंग नहीं आ पाया। ऐसे में कोचिंग संस्थान को आधी फीस लौटानी होगी।

विद्यार्थियों से मांगा शपथ पत्र, एक महीने में दें दस्तावेज, नहीं तो प्रवेश होगा निरस्त

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी और निजी कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। कोरोना की वजह से इस साल नवंवर तक प्रवेश प्रक्रिया चली है। विद्यार्थियों ने यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिला तो ले लिया है, लेकिन अव भी ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनके पिछली कक्षा के परिणाम अभी नहीं आए हैं या विद्यार्थियों के दस्तावेज जमा नहीं हो पाए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों से शपथ पत्र मांगा है। उन्हें लिखकर देना होगा कि एक माह में वे दस्तावेज जमा नहीं कर पाते हैं तो उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाए।

21 साल की आर्या बनेंगी देश की सबसे युवा मेयर

तिरुअनंतपुरम, जेएनएन। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में 21 साल की छात्रा आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा महापौर होंगी। माकपा की जिला तथा प्रदेश कमेटी ने उनकी उम्मीदवारी की मंजूरी दी है। बीएससी गणित की छात्रा आर्या शहर के मुदवनमुगल से पहली बार पार्षद चुनी गई हैं। पार्टी ने मेयर पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ाते हुए उम्मीद जताई है कि और भी शिक्षित महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आएंगी।

परीक्षा निरस्त कर शिक्षकों की भर्ती करने की मांग

गुना। आजाद अध्यापक संघ ने बोर्ड परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम रिजल्ट वाले स्कूल के शिक्षकों की परीक्षा लिए जाने का विरोध किया है। रिजल्ट कम होने की वजह बेस्ट ऑफ फाइव तथा आठवीं तक फेल नहीं किया जाना सहित कुछ अन्य सरकारी नीतियां बताया गया है। संगठन के मुताबिक जिले में बोर्ड परीक्षा में इस बार कम रिजल्ट वाले 18 शिक्षकों की परीक्षा होनी है, जिसमें 10 शिक्षक गणित विषय के हैं। इसकी वजह सरकार की बेस्ट आफ फाइव नीति है। विद्यार्थी को एक विषय में फेल होने पर उक्त पद्धति के आधार पर पास कर दिया जाता है। अन्य विषयों की तुलना में गणित कठिन महसूस होने पर छात्र उक्त विषय की पढ़ाई छोड़ देता हैं, लेकिन इसके लिए शिक्षक को जिम्मेदार माना जाता है। संगठन का कहना है कि गत वर्ष 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों की परीक्षा ली थी, जिसमें फेल 16 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था, जो कि बेहद अमानवीय कदम है। सरकार ऐसे शिक्षकों को बाहर निकालने की बजाए उन्हें प्रशिक्षित करे, जिससे पढ़ाई में सुधार हो। पिछले वर्ष बर्खास्त 16 शिक्षकों को बहाल कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। संगठन ने मांग की कि उक्त परीक्षा निरस्त कर पहले शिक्षकों की भर्ती की जाए।

नवीन मान्यता के लिए 31 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे

स्टार समाचार | भोपाल

प्रदेश में सीबीएसई, आइसीएसई एवं अन्य शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता पाने वाले माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु नवीन मान्यता के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी तक नवीन मान्यता के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर थी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने निर्देश जारी किए हैं। डीपीआइ द्वारा सभी संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, संस्था के अध्यक्षों, सचिवों व प्राचार्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने कहा है कि पोर्टल खोलते हुए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से 31 दिसंबर तक मान्यता नवीनीकरण/ नवीन मान्यता/ अपग्रेडेशन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। डीपीआइ द्वारा जारी आदेश में यह भी लिखा है कि सीबीएसई से पूर्व से मान्यता प्राप्त/संबंद्धता प्राप्त संचालित ऐसे स्कूल जिनकी मान्यता संबद्धता 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही है, इन स्कूलों को सीबीएसई स्कूलों की संबंद्धता तिथि बढ़ाई जाने के लिए मान्यता नवीनीकरण की कार्रवाई संबंधित संयुक्त संचालक द्वारा की जानी है।

लेट फीस के साथ जमा हो सकेंगे फॉर्म

संवाददाता | जबलपुर| माशिमं ने सत्र 2020-21 के छात्रों के परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। अब कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र सौ रुपए की लेट फीस के साथ अपने परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे। माशिमं द्वारा जारी आदेश अनुसार 31 दिसंबर तक फॉर्म जमा करने पर छात्रों को सिर्फ सौ रुपए लेट फीस देनी होगी। वहीं 15 जनवरी तक फॉर्म जमा करने पर दो हजार रुपए, 31 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने वाले छात्र को 5 हजार रुपये और पहले पेपर से एक माह पहले फॉर्म जमा होने पर छात्र को 10 हजार रुपए लेट फीस के रूप में जमा करने होंगे।

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में चिन्हित हुई 153 प्रजातियां

भोपाल। मध्य प्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और वीएनएस नेचर सेवियर्स के संयुक्त तत्वावधान में भोपाल बड्र्स संस्था द्वारा भोज वेटलैंड विंटर बर्ड काउंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 110 प्रतिभागियों द्वारा 5 चयनित जोन में बिशनखेड़ी से मुगलियाछाप में 102, बम्होरी 87, छोटे तालाब से बोरवन 55, बोरवन बैरागढ़ 75 और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से 153 पक्षी प्रजातियों को चिन्हित किया। पक्षी गणना के अंतर्गत 176 प्रजातियों की पहचान की गई। इनमें प्रवासी पक्षियों में रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड, ब्लैक हेडेड आइबिस, रेड नेपड आइबिस, नॉर्थेर्न शोवलर, कॉमन टील, लैसर व्हिस्टलिंग डक, ब्लैक हेडेड आइबिस, ग्लॉसी आइबिस, रेड स्टार्ट, कॉमन स्निपए ग्रे बेल्लीड कुकु गार्गेनि समेत अन्य पक्षी शामिल हैं।

रीवा के शिक्षकों की याचिका

शिक्षकों की दक्षता परीक्षा को चुनौती, कोर्ट ने दिया नोटिस

पीपुल्स संवाददाता ● जबलपुर

editor@peoplessamachar.co.in

दसवीं व बारहवीं के छात्रों के परीक्षा परिणाम 40 फीसदी से कम आने पर शिक्षकों की दक्षता परीक्षा किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दायर मामले में आवेदक शिक्षकों का कहना है कि बिना जांच परख और निर्धारण के उक्त परीक्षा आयोजित की जा रहीं हैं, क्योंकि अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं, जो कि दूसरे कार्य में लगे हुए थे, न तो उन्हें क्लास आवंटित की गई थी और न ही उन्होंने पढ़ाया, फिर उनकी दक्षता परीक्षा क्यों।

जस्टिस राजीव कुमार दुबे व जस्टिस विशाल धगट की वैकेशन बैंच ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामला रीवा शासकीय स्कूल के माध्यमिक व उच्च शिक्षक दिनेश कुमार मिश्रा, सुधाकर तिवारी, कैलाश चंद्र अवधिया सहित 10 शिक्षकों की ओर से दायर किया गया है।

मामले में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त लोक संचालनालय, ज्वाइंट डायरेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी रीवा सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है।

भोज विवि: नियम विरुद्ध 72 नियुक्तियों के मामले में ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

भोज विश्वविद्यालय में हुई 72 नियम विरुद्ध नियुक्तियों को लेकर ईओडब्ल्यू ने शिकायत दर्ज की है। आरोप है कि वर्ष 2003, 2013 और 2014 में तत्कालीन विवि प्रशासन द्वारा बिना रोस्टर के और बिना विज्ञापन व साक्षात्कार के मनमर्जी से नियुक्ति की गई।

बताया जाता है कि शिकायत मिलने पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने अतिरिक्त संचालक के माध्यम से जांच बिठाई है। दरअसल, विवि में नियम विरुद्ध रखे गए कर्मचारी सातवें वेतनमान को लेकर आंदोलनरत हैं। इनमें वह कर्मचारी भी हैं, जिन्हें चतुर्थ श्रेणी को तृतीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी को द्वितीय श्रेणी कर्मी बनाया गया है। इन कर्मचारियों को ऑडिट विभाग से नियम विरुद्ध वेतन भुगतान की तैयारियां चल रही हैं। ईओडब्ल्यू को की गई शिकायत में कहा गया है कि एक अर्द्ध कुशल कर्मचारी को द्वितीय श्रेणी लाइब्रेरियन बनाया गया है। वहीं एक फोटोग्राफर को बोर्ड ने कम स्केल पास किया है और आर्डर अधिक वेतनमान का जारी किया गया है। इसी तरह एक महिला कर्मचारी का पद 2013 में बनाया गया और उसका नियमितीकरण भी कर दिया गया। इस सबको लेकर ऑडिट ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं। बताया जाता है कि इस अवैध भुगतान को जब लेखा शाखा ने रोकने का प्रयास किया, तो कर्मचारी शिकायतें करने लगे। इस पूरे फर्जीवाड़े की ईओडब्ल्यू से शिकायत की गई है।

मेरे कार्यकाल के पहले की नियुक्तियों का है मामला

जिन नियुक्तियों को लेकर शिकायत दर्ज हुई है, वह मेरे कार्यकाल के पूर्व की हैं। बताया जाता है कि उन नियुक्तियों में रोस्टर का पालन नहीं हुआ। अभी मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है। यदि कोई नोटिस आता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जयंत सोनवलकर, कुलपति, भोज विश्वविद्यालय

पहली से 8वीं, 9वीं तथा 11वीं के बच्चों को जनरल प्रमोशन

कोरोना के चलते स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पाई। सरकार ने पहली से आठवीं और फिर 9वीं-11वीं के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया। वहीं कालेजों में भी जनरल प्रमोशन की घोषणा सरकार ने की थी, पर इस बीच यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर कहा कि बिना परीक्षा के डिग्री मान्य नहीं की जाएगी। इसके बाद कॉलेजों ने फाइनल ईयर, सेमेस्टर के एग्जाम कराए। शेष सेमेस्टर व ईयर में इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जनरल प्रमोशन मिला।

कॉलेजों में पहली बार ओपन बुक एग्जाम कराए गए

कोरोना के कारण प्रदेश में पहली बार ओपन बुक एग्जाम कराए गए। उच्च शिक्षा विभाग व तकनीकी शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों व ऑटोनोमस कॉलेजों ने स्टूडेंट्स तक ऑनलाइन पेपर भेजकर फाइनल ईयर व सेमस्टर के एग्जाम कराए। आरजीपीवी ने ओपन बुक एग्जाम ऑनलाइन कॉपी अपलोड करा कर लिया। वहीं बीयू ने ऑनलाइन पेपर भेजकर सेंटरों में आंसरशीट जमा कराई।

बेस्ट-5 के बजाय बेस्ट-3 व 4 से पास हुए 10वीं के छात्र

एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में मात्र 30 फीसदी स्टूडेंट्स ही पास हुए थे। लिहाजा बोर्ड ने बेस्ट-3 और बेस्ट-4 का फार्मूला अपनाया। इसमें हिंदी मीडियम में 4 विषय में और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स 3 विषय में पास थे, उन्हें पास कर दिया गया। इस तरह करीब 60 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए। यह लाभ कोरोना के कारण 20 मार्च के बाद कैंसिल हुए क्रमशः 2 व 3 पेपरों के आधार पर दिया गया था।

पहली बार बिना सुनवाई तय हुई 700 कॉलेजों की फीस

एडमिशन एंड फीस रेगुलेशन कमेटी (फीस कमेटी) के अध्यक्ष आर कान्हेरे ने 10 जुलाई को पदभार संभालने के बाद पहली बार लगभग 700 प्रायवेट कॉलेजों की फीस शपथ पत्र के आधार पर तय की। कमेटी के पास पहुंचे लगभग 900 कॉलेजों के प्रस्तावों में मात्र 200 ने ही फीस बढ़ाने की इच्छा जताई थी। जो कॉलेज पुरानी फीस ही रखना चाहते थे, उनसे शपथ पत्र लेकर फीस तय कर दी गई।

आरटीई : फीस भुगतान में देरी पर प्रदेश के 34 जिला परियोजना समन्वयकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए नोटिस, सात दिन में देना होगा जवाब

स्कूल शिक्षा विभाग जहां एक ओर कोरोना संक्रमण में बेपटरी हुई स्कूल शिक्षा व्यवस्था को एक बार फिर पटरी पर लाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहा है, वहीं कुछ अधिकारी विभाग की इस मंशा पर पानी फेर रहे हैं। ऐसे में इन अधिकारियों पर कारवाई को लेकर अब विभाग ने कड़ा रूख अपनाया है।

राज्य शिक्षा केंद्र ने आरटीई फीस प्रतिपूर्ति की कार्रवाई में देरी और लापरवाही बरतने पर 34 जिलों के जिला परियोजना समन्वयकों (डीपीसी) को नोटिस जारी किए हैं। ऐसे में इन अधिकारियों अब कारवाई की तलवार लटक गई है। अधिकारियों को नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है, अगर जवाब संतुष्टि पूर्ण नहीं हुआ तो कारवाई की जाएगी। इससे डीपीसी में हड़कंप मचा है।

तीन माह से ज्यादा अवधि से लंबित थे फीस भुगतान के प्रस्ताव

राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों को समय-समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी इन जिलों के स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के नि:शुल्क अध्ययनरत बच्चों की सत्र 2016-17, 2017-18 और सत्र 2018-19 की फीस भुगतान के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक स्तर पर 3 माह से अधिक अवधि से लंबित थे। मामले में शुक्रवार को आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र लोकेश कुमार जाटव ने उक्त अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। इन सभी जिला परियोजना समन्वयकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के तहत नोटिस जारी कर सात दिवस में जवाब चाहा गया है।

इन जिलों को जारी हुआ नोटिस

34 जिलों में देवास, रीवा, सतना, खरगोन, मंदसौर, गुना, ग्वालियर, रायसेन, जबलपुर, भोपाल, अनूपपुर, आगर मालवा, सीधी, सागर, खंडवा, श्योपुर, हरदा, राजगढ़, भिंड, मुरैना, पन्ना, इंदौर, दमोह, नीमच, धार, अशोक नगर, छतरपुर, रतलाम, उमरिया, शाजापुर, दतिया, सीहोर और टीकमगढ़ (निवाड़ी सहित) शामिल है।

तो कार्रवाई करेंगे

मामले में संबंधित जिला परियोजना समन्वयकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिस पर सात दिन के भीतर जवाब देना है। संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आए तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त
राज्य शिक्षा केंद्र (आरएसके)

9 महीने से नहीं लगी हैं सरकारी-निजी कॉलेजों में क्लास, कॉलेजों में शुरू हुई क्लास लगाए जाने की व्यवस्था

एक जनवरी से अनलॉक होंगे प्रदेश के कॉलेज पहले होंगे प्रैक्टिकल, 10 दिन बाद लगेगी क्लास

नगर संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेज खुल जाएंगे। पहले 10 दिन प्रैक्टिकल के लिए क्लास लगाई जाएंगी। 10 तारीख के बाद यूजी फाइनल ईयर और पीजी थर्ड सेमेस्टर की क्लास शुरू हो जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे।

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेज 9 महीने से बंद हैं। मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद कॉलेज बंद हो गए थे। कोरोना संक्रमण की वजह से एग्जाम भी ओपन बुक प्रणाली से हुए थे। अब सरकारी और निजी कॉलेजों को खोले जाने के लिए गाइडलाइन तैयार की जा रही है। नई गाइड लाइन के अनुसार नियमित क्लास शुरू करने के निर्देश शनिवार को जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि क्लास में आने या न आने का निर्णय छात्रों को स्वयं लेना है। उन्हें क्लास में आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार नई गाइडलाइन में कॉलेज लगाने को लेकर शासन ने प्रस्ताव तैयार कर दिया है। अभी फाइल शासन के पास ही है। एक जनवरी से सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेज खुल जाएंगे। इसमें बीए से लेकर तकनीकी कॉलेज भी शामिल हैं। एक जनवरी से पहले प्रैक्टिकल और 10 जनवरी से नियमित क्लास शुरू की जाएंगी।

(फाइल फोटो)

एक तिहाई उपस्थिति से कक्षाएं लगाई जाएंगी

प्रदेश भर के इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फॉर्मेसी कालेज और पॉलीटेक्निक एक जनवरी से खोले जा सकेंगे। ये कॉलेज शासन और यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ही खोले जाएंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी शासन को इसका प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा प्रदेश में खुले नए कोर्स की अनुमति भी रही। कार्यपरिषद की बैठक में कॉलेजों को कोरोना गाइड लाइन व नियमों का पालन कर खोले जाने के निर्णय के साथ ही अकादमिक विषयों पर चर्चा की गई। इसमें कहा गया कि संस्थानों और विद्यार्थियों की सहमति से ही कॉलेज खोले जाएंगे। प्रबंधन विद्यार्थियों को कॉलेज आने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। विद्यार्थी अपनी मर्जी से ही कॉलेज आकर कक्षाओं में उपस्थित होंगे। इसलिए कॉलेज विद्यार्थियों की एक तिहाई उपस्थिति से कक्षाएं लगाई जा सकेंगी। प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में 15 नई ब्रांच में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया है। बैठक में उनकी स्कीम और सिलेबस को मंजूरी दे दी गई है। अब प्रदेश में इंजीनियरिंग की करीब 45 ब्रांच में विद्यार्थी प्रवेश लेने के बाद पढ़ाई कर पाएंगे।

मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का होगा पुनर्गठन

भोपाल। प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रभावी बनाने के लिये मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया गया है। आयोग के लिये 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से की जायेगी, जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हों तथा उनके कार्य के लिये जाने जाते हों। नियुक्त 5 सदस्यों में से अध्यक्ष के रूप में एक सदस्य तथा एक अन्य सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा। अध्यक्ष और कम से कम दो अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति होंगे और कम से कम एक सदस्य महिलाओं में से भी नियुक्त किया जायेगा।

शिक्षा विभाग के विद्यालयों में विलय होंगे

आदिम जाति कल्याण के शिक्षण संस्थान

ब्यूरो, भोपाल। मप्र में अब शासकीय स्कूलों का संचालन पूरी तरह स्कूल शिक्षा विभाग ही करेगा। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित सभी स्कूलों का विलय स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में किया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का जो रोडमैप तैयार हो रहा है उसके तहत आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूल और उनसे जुड़े कार्यों का स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों के साथ विलय किया जाएगा। इसकी कार्ययोजना तैयार करने के लिए दोनो विभागों के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है। इस समिति में आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं आयुक्त आदिवासी विकास संजीव सिंह, उपसचिव लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव आदिम जाति कल्याण दिनेश श्रीवास्तव, अपर संचालक लोक शिक्षण कामना आचार्य, अपर संचालक आदिवासी विकास विक्रमादित्य सिंह, अपर संचालक लोक शिक्षण डीके कुशवाह, अपर संचालक लोक शिक्षण केके द्विवेदी, उपायुक्त आदिवासी विकास सीमा सोनी को सदस्य बनाया गया है।

यह होगा फायदा

अभी आदिम जाति कल्याण विभाग को अपने स्कूलों के लिए अलग से बजट जारी करना पड़ता है। यहां कार्यरत शिक्षकों की अलग तबादला नीति तय होती है। जबकि इसी तरह का काम स्कूल शिक्षा विभाग भी करता है। दो अलग-अलग विभाग एक ही तरह के काम कर रहे है। इसलिए एक समान काम एक विभाग में एक अंब्रेला के तहत संचालित होने से इनके संबंध में नीतिगत निर्णय लेने और इनके लिए बनी योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी हो जाएगी।

र्यटक

लिए प्रशिक्षण भी
यों को गाइड के
र्यटकों को भी
राकर भ्रमण
स किया जा रहा है।

ी संस्कृति की
स्कृति से रूबरू
फलहाल पर्यटक
ाएंगे जो आमतौर
न हैं जो पर्यटकों

आरटीई : फीस भुगतान में देरी पर 34 डीपीसी को नोटिस

भोपाल। राज्य शिक्षा केंद्र ने आरटीई फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही में देरी और लापरवाही बरतने पर भोपाल, इंदौर सहित 34 जिलों के जिला परियोजना समन्वयकों (डीपीसी) को आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र लोकेश कुमार जाटव ने नोटिस जारी किए हैं। उनसे सात दिन में जवाब मांगा गया है। दरअसल, राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों को कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद इन जिलों में निर्देश का पालन नहीं हुआ।

पदनाम देकर सरकार करेगी पदोन्नति

सामान्य प्रशासन ने पदनाम के लिए वरिष्ठता की गणना करने हेतु 6 ब्यूरोक्रेट की कमेटी बनाई जो अधिकारी कर्मचारी वरिष्ठ पद का वेतनमान ले रहा उसे मिल जाएगा पदनाम

भोपाल ■ गौरीशंकर चौरसिया

मध्यप्रदेश में पदोन्नति की प्रत्याशा में रिटायर होते कर्मचारी अधिकारियों के लिए राज्य सरकार ने अब राहत भरा विकल्प निकाला है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अखिल भारतीय सेवा के छह अफसरों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी वरिष्ठता पद का वेतनमान पा रहे सेवकों की गणना कर पदनाम के लिए अपनी अनुशंसा सरकार को देगी। यह एक प्रकार की पदोन्नति ही मानी जा रही है। इस प्रक्रिया को शासकीय तंत्र में 1 वर्ग जहां सरकार का अच्छा कदम बता रहा है वहीं दूसरी ओर आरक्षित वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों का कहना है कि यह उचित नहीं है। राज्य सरकार को तत्काल नया पदोन्नति नियम लागू करना चाहिए। हाल ही में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इसके तहत वरिष्ठता का वेतनमान पा रहे कर्मचारी अधिकारियों को पदनाम दिया जाएगा। सरकार ने तरीका भी सही निकाला है क्योंकि जब शासकीय सेवक वरिष्ठ पद का वेतन पा रहा है तो उसे पदनाम देने में कोई वित्तीय भार नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को रखा गया है। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी मानते हैं कि जब तक पदोन्नति में आरक्षण का मामला कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है। तब तक कर्मचारियों के लिए क्यों ना पद नाम देकर उन्हें राहत दी जाए। मंत्री का कहना है कि यह भी एक प्रकार की पदोन्नति है। क्योंकि जब वरिष्ठ पद का शासकीय सेवक वेतनमान पा रहे हैं तो उन्हें सिर्फपदनाम की ही जरूरत है। सरकार ने इन्हें पदनाम देकर एक प्रकार से इनका पूरा सम्मान रखा है।

आला अधिकारियों की कमेटी करेगी छानबीन

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों को पदनाम देने का जो रास्ता निकाला गया है, उसके लिए 6 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। इसमें महा निर्देशक आरसीपीवी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, सचिव जल संसाधन, अपर सचिव सामान्य प्रशासन, प्रमुख सचिव राजस्व और प्रमुख सचिव विधि विधाई को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कमेटी प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता वेतनमान धारियों का आकलन करेगी। उसके बाद ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति पद नाम दे दिया जाएगा। वरिष्ठता का वेतनमान ले रहे प्रदेश में ऐसे कितने अधिकारी कर्मचारी हैं, इसकी रिपोर्ट कलेक्टरों से मांगी गई है।

विभागों में पिछले 4 साल से बिना प्रमोशन रिटायरमेंट

बताना होगा कि वर्ष 2016 से प्रदेश के सरकारी विभागों में पदोन्नतिया नहीं हो पाई है। कारण है कि प्रमोशन में आरक्षण का मामला कोर्ट की प्रक्रिया में विचाराधीन है। इस कारण तभी से विभिन्न विभागों और परियोजनाओं में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो रहे हैं। शिक्षा विभाग में तो शिक्षक व्याख्याता पिछले कई सालों से वरिष्ठ पद का वेतनमान पा रहे हैं लेकिन उन्हें पदनाम नहीं मिल पा रहा है। महिला बाल विकास, स्वास्थ्य परिवार कल्याण कृषि उद्योग विधि विधाई संसदीय कार्य आर्थिक सांख्यिकी सहित अनेक विभाग जहां कर्मचारी और अधिकारी वरिष्ठ पद का वेतनमान ले रहे हैं, लेकिन इन्हें कनिष्ठ पद से ही नवाजा जा रहा है। नतीजतन सरकार ने कर्मचारियों को यह पदनाम देकर एक प्रकार से पदोन्नति का तमगा देने की कोशिश की है।

नया नियम लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है: सूर्यवंशी

प्रदेश में पदनाम संबंधी आदेश जारी होने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारियों के संगठन अजाक्स ने एक बार फिर आवाज उठाई है। अजाक्स संगठन के प्रांतीय महासचिव एसएल सूर्यवंशी का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट के वकील द्वारा पदोन्नतियों के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। तो आखिर उसके अनुसार सरकार को नया नियम लागू करने में क्या दिक्कत आ रही है। सूर्यवंशी का कहना है कि राज्य सरकार को वरिष्ठता के आधार पर पदनाम देने की बजाय तत्काल पदोन्नतियों के लिए नया नियम लागू करना चाहिए। यह पूरे प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों के हित में होगा।

बीयू : रिजल्ट तो जारी किए, लेकिन दो माह बाद जारी नहीं हो सकी मार्कशीट, लगी भीड़

भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) ने परीक्षाओं के रिजल्ट तो जारी कर दिए हैं, लेकिन दो माह बाद भी विद्यार्थियों की मार्कशीट जारी नहीं हो सकी हैं। मूल मार्कशीट नहीं होने कारण विद्यार्थियों के प्रवेश और अन्य शैक्षणिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मार्कशीट के अभाव में कई विद्यार्थियों के प्रवेश अटक गए हैं। कॉलेज उनके प्रवेश को निरस्त करने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में बीयू अधिकारियों ने विद्यार्थियों के लिए बीच का रास्ता निकालते हुए इंटरनेट की मार्कशीट को सील-साइन कर अटेस्टेड करने का निर्णय लिया हैं, लेकिन इसके चलते अब बीयू में विद्यार्थियों की भीड़ लग रही है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन मार्कशीट पर बीयू अधिारियों के हस्ताक्षर लेने के बाद सील सिक्का तक लगवाना पड़ रहे हैं।

हाईकोर्ट का निर्देश, दैनिक वेतन भोगी को नियमित करने पर विचार करें'

जबलपुर । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के नियमितिकरण की मांग को गंभीरता से लिया जाए। उसके आवेदन पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जाए। यह प्रक्रिया तीन माह में पूर्ण की जाए। मामला शिक्षा विभाग से संबंधित था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर यथाशीघ्र उसके हित में निर्णय लिया जाए। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता दमोह निवासी विनोद सराफ की ओर से अधिवक्ता विजय मिश्रा ने पक्ष रखा।

प्रदेश में अब वन नहीं, कृषि विभाग संभालेगा बांस मिशन का जिम्मा

भोपाल (नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन के संचालन को लेकर सात साल से वन और कृषि विभाग में चल रही खींचतान पर विराम लग गया है। सरकार ने मिशन कृषि विभाग को सौंपने का निर्णय ले लिया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्ययोजना में इसे शामिल कर लिया गया है। मिशन को सालभर में वन विभाग विधिवत रूप से कृषि विभाग को सौंप देगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जुलाई 2020 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मिशन का संचालन विभाग को सौंपने का अनुरोध किया था। उनका तर्क था कि देश के अन्य राज्यों में मिशन कृषि विभाग ही चला रहा है। प्रदेश में जुलाई 2013 में बांस मिशन सोसायटी गठित हुई है। तभी से दोनों विभागों में मिशन के संचालन को लेकर खींचतान चल रही है। बीच में कुछ समय के लिए मिशन कृषि विभाग के अधीन कार्य कर चुका है, पर बाद में वन अधिकारियों के तर्कों से सहमत होकर सरकार ने मिशन की कमान वन विभाग को सौंप दी थी। अब एक बार फिर संचालन का जिम्मा कृषि विभाग को सौंपा जा रहा है। अब कृषि विभाग कहता है कि बांस कैश क्राफ्ट (नकद फसल) है और देश के दूसरे राज्यों में मिशन कृषि विभाग ही चला रहा है। जबकि वन विभाग के अपने तर्क हैं।

विभाग के अधिकारी कहते हैं कि बांस फसल तो है, पर दीर्घ अवधि की फसल है। यानी आठ से दस साल में बेचने की स्थिति में होती है। बड़े रकबे में बांस रोपे बगैर किसानों को इसका लाभ साल में दो बार नहीं मिल सकता है। इस कारण इसे वन विभाग के अधीन रखा जाना चाहिए।

अभी हमें मिशन को स्थानांतरित करने का आदेश नहीं मिला है। जैसे ही मिलेगा आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। **-अभय पाटिल**, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन

किसानों के दिल्ली कूच का 30वां दिन • दिल्ली-जयपुर हाईवे जाम

केरल में मंडी नहीं, गुमराह करने वाले वहां आंदोलन क्यों नहीं करते: मोदी

पीएम ने किसानों से बात की, 9 करोड़ खातों में 18 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छह राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, 'कुछ दलों को आजकल एपीएमसी-मंडियों की बहुत याद आ रही है। ये भूल जाते हैं केरल में एपीएमसी हैं ही नहीं। वहां ये लोग आंदोलन नहीं करते। मैं इनसे पूछता हूं यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हो, जरा केरल में आंदोलन कर एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है, पर केरल में यह व्यवस्था शुरू कराने के लिए नहीं।' पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इससे पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि भी दी। वहीं, सरकार की ओर से किसान नेताओं को भेजे गए वार्ता प्रस्ताव पर 24 घंटे बीतने के बाद भी वे कोई निर्णय नहीं ले सके। अब शनिवार को बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

(देश-विदेश पेज भी पढ़ें)

पंजाब में अटल जयंती कार्यक्रम में तोड़फोड़

बठिंडा में तोड़फोड़ करते किसान।

- **पंजाब** के बठिंडा में भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के किसानों ने अटल जयंती कार्यक्रम में कुर्सियां आदि तोड़ दीं। जालंधर में कार्यक्रम रोकने गए किसान पुलिस से उलझे। फगवाड़ा में नारेबाजी की।
- **हरियाणा** में अधिकांश टोल प्लाजा पर वसूली रोकी। दिल्ली-जयपुर हाईवे जाम किया। राज्यमंत्री कमलेश ढांडा व जजपा विधायक ईश्वर सिंह का घेराव किया।
- **उत्तराखंड** के उधमसिंह नगर में पुलिस से टकराए।

किसान से पूछा- खरीदार आपसे अदरक ही खरीदते हैं या जमीन भी ले जाते हैं

- पीएम ने अरुणाचल के गगन पेरिंग से बात की। पीएम ने पूछा, 'आप सम्मान निधि कहां इस्तेमाल करते हैं।' गगन बोले- मेरे साथ 446 किसान जुड़े हैं। हम ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं। फसल बैंगलुरु-दिल्ली में बेचते हैं। पीएम मोदी ने पूछा, 'खरीदार आपसे सिर्फ अदरक ही खरीदते हैं या जमीन भी ले जाते हैं।' गगन ने कहा- जमीन सुरक्षित है। पीएम बोले- कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जमीन छिन जाएगी।
- असम, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर व अन्य राज्यों में पंचायत चुनाव हुए। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, किसानों ने भाग लिया। उन्होंने किसानों को गुमराह करने वाले सभी दलों को नकार दिया।

इधर बाबई में शिवराज ने कहा - 'आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं

माफिया सुन लो, मप्र छोड़ दो, नहीं तो जमीन में गाड़ देंगे

होशंगाबाद-भोपाल | होशंगाबाद के बाबई में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब दिल्ली से कोई भी पैसा निकलता है तो वह पूरा का पूरा लोगों के खातों में पहुंचता है। पहले तो बीच में ही लोग खा जाते थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश में चल रहे माफिया के खिलाफ अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। माफिया के खिलाफ अभियान चल रहा है। सभी सुन लें, मप्र छोड़ देना नहीं तो जमीन में 10 फीट गाड़ दूंगा। पता भी नहीं चलेगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि देश के साथ प्रदेश में किसानों और गरीबों के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार है। सरकार का दावा है कि मोदी और शिवराज सिंह के संबोधन को प्रदेश में अलग-अलग माध्यमों के जरिए दो करोड़ लोगों ने सुना। वर्चुअली 48 लाख किसान जुड़े।

प्रशासन बेखबर...डाकघर और कियोस्क सेंटर पर नए कार्ड बनवाने और संशोधन के लिए पहुंचने वाले हो रहे परेशान

आधार के लिए लोगों के साथ हो रही मनमानी

मेरी परेशानी

इन चार तरह की परेशानियों से जूझ रहे है लोग

ग्वालियर • डीबी स्टार

सबसे जरूरी दस्तावेज आधार के लिए शहर के डाकघर और कियोस्क सेंटरों पर लोगों के साथ तरह-तरह की मनमानी हो रही है, लेकिन इन मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन का ई गवर्नेंस कार्यालय बेखबर है। आधार में डेमोग्राफिक बदलाव कराने हो, या 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का आधार अपडेशन कराना हो तो सेंटरों पर हर काम के लिए गाइडलाइन से अधिक पैसे मांगे जा रहे हैं और डाकघरों में तो लोगों को एक 1 महीने की वेटिंग तक दी जा रही है। लोग जब इसका विरोध करते हैं तो उन्हें कई तरह से परेशान किया जाता है डीबी स्टार ने इस संबंध में ई गवर्नेंस अफसरों से बात की तो उन्होंने मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई करने की बात कही।

डेमोग्राफिक बदलाव के लिए किया जाता है परेशान

लक्ष्मी गंज निवासी सुमित झा बताते हैं कि गल्ला मंडी स्थित कियोस्क सेंटर पर जब वे आधार में अपना पता और नाम की स्पेलिंग सही कराने के लिए पहुंचे तो डेमोग्राफिक बदलाव के लिए मात्र 50 लगना चाहिए और एक बार में एक से अधिक संशोधन होने चाहिए लेकिन मुझसे हर संशोधन के लिए अलग से पैसे मांगे गये। दो संशोधन कराने के लिए मुझे 100 देना पड़े जबकि यह काम 50 में ही हो जाना चाहिए था।

महाराज बाड़ा डाकघर में आधार कार्ड बनवाने के लिए आए लोग।

महाराज बाड़ा डाकघर पर बढ़ती ही जा रही है वेटिंग

शहर में 10 डाकघरों में आधार बनाने की व्यवस्था की गई है इसके बावजूद महाराज बाड़ा डाक घर पर भीड़ बढ़ती जा रही है। यहां पर 1 दिन में 300 आवेदक आ रहे हैं और वेटिंग भी 1 महीने तक की मिल रही है जबकि दो-दो मशीन होने के बावजूद यहां पर 1 दिन में 10 से 15 लोगों का ही आधार बनाने या संशोधन करने का काम हो पा रहा है

वोटर कार्ड से भी बन जाता है आधार, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र भी मांगते हैं

शहर के कई कियोस्क सेंटर पर लोगों से आधार बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र तक मांगे जाते हैं जबकि मात्र वोटर कार्ड से भी आधार कार्ड बनाया जा सकता है। हजीरा निवासी आकाश शर्मा को इसी तरह की परेशानी का सामना जनमित्र केंद्र में चलने वाले कियोस्क सेंटर पर करना पड़ा। ये दिक्कत कई लोगों को आ रही है।

सॉफ्टवेयर में संशोधन के बाद भी बच्चों का आधार अपडेशन नहीं हो रहा निशुल्क

यूआईडीएआई के सॉफ्टवेयर में संशोधन करने के बाद यह व्यवस्था हो चुकी है की 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के आधार अपडेशन निशुल्क होगा लेकिन चाहे प्राइवेट कियोस्क सेंटर हो, या फिर डाकघर के सेंटर हर जगह बच्चों के आधार अपडेशन के लिए 100 तक मांगे जा रहे हैं जबकि अब यह व्यवस्था निशुल्क कर दी गई है।

विधानसभा पर कोरोना का साया • तीन दिन का सत्र 28 से शुरू होना है, यह पूरा होगा या छोटा, फैसला आज

सत्र से दो दिन पहले आई रिपोर्ट, विधानसभा के 77 में से 34 कर्मचारी कोरोना संक्रमित

शुक्रवार को भी हुआ 55 लोगों का टेस्ट आज आएगी रिपोर्ट

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

मप्र के शीतकालीन सत्र से दो दिन पहले आई रिपोर्ट में विधानसभा के 77 में से 34 कर्मचारी कोरोना संक्रमित निकले हैं। पहले इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, इसके बाद आरटीपीसीआर भी कराई गई। शुक्रवार को भी 55 लोगों का और टेस्ट हुआ है, जिनकी रिपोर्ट शनिवार को आनी है। सत्र पहले हुए इस कोरोना विस्फोट से विधानसभा सकते में है। शीतकालीन सत्र को देखते हुए सभी कर्मचारियों का टेस्ट कराया गया था। इसमें काफी संख्या विधायक विश्राम गृह कि कर्मचारियों की भी है जहां विधायक या उनके साथ आने वाला स्टाफ रुकता है। अब विधानसभा इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराएगी। ये सभी कर्मचारी लगातार काम पर आ रहे थे। इनमें कुछ को सामान्य सर्दी-खांसी और कुछ को तो कोई भी लक्षण नहीं थे। अब जिला प्रशासन शनिवार को संक्रमित क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित कर सकता है। दोपहर दो बजे सर्वदलीय बैठक विधानसभा में बुलाई गई है।

शेष | पेज 10 पर

मुख्यमंत्री समेत 47 विधायक हो चुके संक्रमित, एक की मौत

एक खतरा यह भी... विधानसभा में 51 विधायक 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं

कोरोना काल में अभी तक 47 विधायक संक्रमित हो चुके हैं। इनमें मुख्यमंत्री और एक दर्जन मंत्रियों के साथ विधायक भी शामिल हैं। एक विधायक गोवर्धन दांगी और पूर्व विधायक कल्याण सिंह की मौत हो चुकी है। इस समय विधानसभा सदस्यों में 51 विधायक 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं।

विधानसभा भी तैयार..कोविड टेस्ट के बिना सत्र में एंट्री नहीं

विधानसभा ने अपने स्तर से पूरी तैयारी कर ली है। विधायकों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि वे 25 दिसंबर को कोविड टेस्ट कराया हुआ प्रमाण-पत्र लाएंगे। उनके साथ यदि स्टाफ है तो उसका भी टेस्ट जरूरी होगा। विधानसभा में भी जांच की व्यवस्था की गई है। टेस्ट के बिना सत्र में एंट्री नहीं होगी।

संवैधानिक बाध्यता... शिवराज सरकार में एक ही दिन हुआ सत्र

शिवराज सिंह सरकार में अभी तक एक ही दिन का सत्र हो पाया है। पिछली बार भी संवैधानिक बाध्यता को वजह बताया गया था। अब चूंकि 200 लोगों के साथ शादी व राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो सत्र संभावना भी बढ़ी हैं। नए सत्र में लोकमहत्व से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा संभावित है।

सतर्कता जरूरी...संसद के साथ 10 राज्यों में निरस्त हो चुका है सत्र

इस समय संसद के साथ 10 राज्यों ने शीतकालीन सत्र को निरस्त कर दिया है। गोवा ने 25 जनवरी के बाद सत्र प्रस्तावित किया है। सत्र निरस्त करने वाले राज्यों में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और मेघालय शामिल हैं।

पांच किमी का दायरा सील होगा

कलेक्टर का आदेश, ट्रैक्टर से विधानसभा नहीं जा पाएंगे नाथ

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस के विधायक अब ट्रैक्टर से विधानसभा नहीं जा पाएंगे। भोपाल कलेक्टर ने विधानसभा की पांच किमी की परिधि में ट्रैक्टर सहित भारी वाहन, ट्रक, डंपर और धीमी गति से चलने वाले तांगा, बैलगाड़ी आदि के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 28 से 30 दिसंबर तक होने वाले सत्र के मद्देनजर विधानसभा परिसर के आसपास धारा 144 लगाने के 21 दिसंबर के आदेश में यह संशोधन किया गया है। कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने 28 दिसंबर को विधानसभा के घेराव की घोषणा की है। इस दिन कमलनाथ सहित सभी विधायकों की ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचने की योजना है। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है। उसने प्रदेश भर के किसानों को भोपाल बुलाने की तैयारी की है। कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर से विधानसभा न पहुंच पाएं, इसलिए आदेश में संशोधन किया गया है। कांग्रेसी रणनीति बदलकर बैलगाड़ी से भी पहुंच सकते थे, इसलिए उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया।

विविः एमटेक की लिंक आज खुलेगी

सागर | डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए चल रही पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में अब तक 2327 विद्यार्थी फीस जमा कर चुके हैं। विवि में यूजी के 15 पाठ्यक्रमों में कुल 2201 तो पीजी के 37 पाठ्यक्रमों में 1287 सीटें हैं। इस प्रकार स्नातक और स्नातकोत्तर के 52 पाठ्यक्रमों में कुल 3487 सीटें हैं।

एमटेक की 37 सीटों के लिए हुए पंजीयन के आधार पर मेरिट सूची शुक्रवार को जारी कर दी गई है। 1 दिन का समय विद्यार्थियों को दावे-आपत्ति लगाने के लिए दिया गया है। यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो फीस जमा करने की लिंक शनिवार से खोल दी जाएगी। एमटेक की कुल 37 सीटों के लिए 52 विद्यार्थियों ने पंजीयन किया है। जिनमें से 35 को फीस भरने लिंक खोली जाएगी। वहीं यूजी और पीजी के शेष 51 पाठ्यक्रमों में फीस जमा करने की अवधि निकलने के बाद खाली रहीं 1064 सीटों पर वेटिंग वाले विद्यार्थियों को फीस जमा करने का मौका दिया गया है।

छात्र बोले- 166 नंबर वाले रह गए, 154 वालों को प्रवेश दिया

भास्कर संवाददाता | सागर

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय में चल रही ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया में दस्तावेज हटाने के मामले में विवि कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। जिसमें कहा गया है कि छात्रों ने जो दस्तावेज हटाने के आरोप लगाए हैं, वह निराधार हैं।

कुलसचिव संतोष सोहगौरा ने बताया कि मामले की जांच के लिए हमने जो कमेटी बनाई थी, उसकी दो बैठकें हुईं। इनमें एसपी के निर्देश पर साइबर सेल के पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। इसमें यह पाया गया है कि जिस जगह से छात्रों ने फॉर्म जमा किए थे, उनमें वो दस्तावेज अपलोड ही नहीं हुए जिन पर वे यह दावा कर रहे थे कि यह हटा लिए गए हैं। हालांकि कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि सीट खाली रहने की स्थिति में यह विद्यार्थी दूसरे चरण की काउंसलिंग में नए सिरे से पंजीयन करा सकते हैं। उधर छात्रों का कहना है कि यह जांच रिपोर्ट सही नहीं है। छात्र हितों के नाम पर विवि को हमें एक मौका देना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। छात्रा मिनाज अहमद ने बताया कि एमलिब में दाखिले के लिए ओबीसी का सर्टिफिक्केट जमा किया था, वह किसी ने हटा दिया।

एक जनवरी को प्रायोगिक, 10 से स्नातक अंतिम वर्ष की कक्षाएं शुरू करेंगे

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

कॉलेज में कक्षाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। एक जनवरी को प्रायोगिक कक्षाएं, 10 जनवरी से स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएं और 20 जनवरी से सभी शेष कक्षाएं शुरू होंगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह बात कही। उन्होंने कहा विभाग केंद्रीय अध्ययन मंडल का गठन और पाठ्यक्रमों को रोजगारोन्मुखी बनाने का काम कर रहा है।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कोरोना संक्रमण के दौरान विभाग ने विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, इसके लिए यूजी-पीजी के संकायों के लेक्चर ऑडियो और वीडियो के जरिए तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। यू-ट्यूब चैनल पर ढाई लाख विद्यार्थियों ने इन्हें पसंद किया है। डॉ. यादव गत दिवस मंत्रालय भोपाल में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन प्रवेश का एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है। नए आवेदकों के लिए 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक एक दिन के लिए ऑनलाइन पंजीयन के लिए प्रवेश पोर्टल खोला जाएगा।

बीएससी नर्सिंग की परीक्षा तिथि घोषित

ग्वालियर| जीवाजी यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग तृतीय और चतुर्थ वर्ष की परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। बीएससी नर्सिंग तृतीय वर्ष की परीक्षा 7 से 12 जनवरी तक तथा चतुर्थ वर्ष की परीक्षाएं 8 से 18 जनवरी तक चलेंगी। जो छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं वह 30 दिसंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं।

आज का इतिहास

- **1530**: मुग़ल सम्राट बाबर का निधन हुआ।
- **1606**: शेक्सपियर ने अपने लोकप्रिय नाटक किंग लियर को पहली बार इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दरबार में पेश किया था।
- **1748**: फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच दक्षिणी हॉलैंड को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।
- **1899**: स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद उधम सिंह का जन्म हुआ।
- **1904**: दिल्ली से मुंबई के बीच देश की पहली क्रॉस कंट्री मोटरकार रैली की शुरुआत।
- **1925**: भाकपा की स्थापना।
- **1978**: भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया गया। मोरारजी देसाई सरकार ने 19 दिसंबर

आज का इतिहास

1899	अमर शहीद ऊधम सिंह - स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ।
1976	यशपाल - हिन्दी के यशस्वी कथाकार और निबन्ध लेखक का निधन हुआ।
1999	शंकरदयाल शर्मा - भारत के नौवें राष्ट्रपति का निधन हुआ।
1986	बीना दास - भारत की महिला क्रांतिकारियों में से एक का निधन हुआ।
1904	दिल्ली से मुंबई के बीच देश की पहली क्रॉस कंट्री मोटरकार रैली का उद्घाटन।
2002	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में पुनः संघर्ष शुरू होने की सूचना दी।
2007	तुर्क विमानों ने इराकी कुर्द ठिकानों पर हमले किये।